उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– 51 /ऋण सेल(एल–5/ऋणनीति)/2019–20 दिनांक– 11-11-19

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबंधक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 30.10.2019 को समस्त क्षेत्रीय प्रबंधको की आहूत बैठक में अवगत कराया गया कि फील्ड स्टाफ द्वारा प्रधान कार्यालय के जारी दिशा निर्देशानुसार प्रतिमाह आवंटित ऋण पत्रावलियों को एकत्र कर ऋण वितरण की कार्यवाही सम्पादन नहीं की जा रही है जिससे शाखा के लक्ष्यों के अनुरूप ऋण वितरण नहीं हो रहा है। कतिपय शाखाओं पर फील्ड स्टाफ की घोर उदासीनता के कारण ऋण वितरण शून्य है, यह स्थिति किसी भी संस्था के लिए सर्वथा प्रतिकूल है।

आप अवगत ही है कि बैंक का एक मूल उद्देश्य ऋण वितरण करना है, शाखाओं द्वारा जो ऋण वितरण किया जाता है, बैंक को ब्याज अर्जित होता है और जिसका प्रभाव सीधे बैंक की आय पर पड़ता है। प्रधान कार्यालय पर इस आशय की भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि फील्ड स्टाफ अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सजग नहीं है एवं ऋण आवेदन पत्र एकत्र करने में सही भूमिका नहीं निभा रहे है। इसी उदासीनता के कारण कतिपय शाखाओं का ऋण वितरण, लक्ष्य एवं गतवर्ष की तुलना में काफी पीछे चल रहा है। शाखाओं की ऋण पत्रावलियों का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

शाखाओं की आउटस्टैडिंग के अनुसार ऋण पत्रावलियों का लक्ष्य :–

आउटस्टैडिंग के अनुसार	20 करोड़ से अधिक	15 करोड़ से अधिक 20 करोड़ तक	10 करोड़ से अधिक 15 करोड़ तक	05 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक	5 करोड़ तक
प्रति फील्ड कर्मचारी आवंटित लक्ष्य	10	08	06	04	02

अतः शाखाओं का ऋण पत्रावलियों का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार पत्रावली तैयार करते हुए ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करे।

(अन्द्रा वामसी)
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0केन्द्र, लखनऊ।
3. प्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि बैंक की समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबधक/क्षेत्रीय प्रबंधक को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक